

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रार्थना पत्र

संख्या :- 32/2020

अनवान तहसीलदार

बनाम

संग्राम चौधरी वगैराह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
12.02.2020	<p>तहसीलदार उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 LR Act, 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा-लौटोती, पटवार हल्का लौटोती, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.न. 115 जमाबन्दी सेगीगेशन कार्य को पूर्ण करने एवं नक्शे में दर्ज खसरा नम्बरों का वन दू वन मिलान के मध्य जिन खसरों में रिकार्ड मौका तथा नक्शे में भिन्नता आ रही है यथा खातेदारों के अलग अलग खसरों नम्बरों की सीमाओं में अन्तर है तथा नक्शा अनुरूप खसरों का रकबा मिलान नहीं होता है। ऐसे खसरा नम्बरों के नक्शे की सीमाओं में दुरुस्ती प्रस्ताव निम्नानुसार सेवा में पेश है। ग्राम लौटोती पटवार हल्का लौटोती तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के खसरा नम्बर 115 रकबा 12-01 बीघा खातेदारान् का आवेदन मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि पेश कर निवेदन है कि निम्नानुसार रिकार्ड दुरुस्ती का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं मय रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>मौजा लौटोती के खसरा नम्बर 115 रकबा 12-01 बीघा भूमि संलग्न जमाबन्दी अनुसार खातेदार संग्राम चौधरी पुत्र पुरखाराम 1/4, कानाराम पुत्र पुरखा 1/4, नारायण पुत्र पुरखा 1/2 कौम जाट के नाम दर्ज हैं। पटवारी हल्का लौटोती ने अपनी जांच रिपोर्ट में निवेदन किया कि उक्त खातेदारान् की उक्त भूमि मौके पर खसरा नम्बर 115 रकबा 12-01 बीघा भूमि दो भागों में खसरा नम्बर 115 रकबा 05-01 बीघा व खसरा नम्बर 115/2 रकबा 07-00 बीघा अलग-अलग भागों में स्थित हैं, जिनकी सीमाएँ एक दूसरे से चिपती हुई नहीं हैं। तथा बीच में अन्य खातेदारों की भूमि आई हुई हैं। अतः उक्त 12-01 बीघा भूमि को दो भागों में रेकर्ड में दर्ज किया जाना उचित होगा। ताकि DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत वन दू वन मैपिंग तरमीम कार्य में सुविधा होगी तथा रेकर्ड भी अपडेट हो जायेगा। इस संबंध में संबंधित खातेदार संग्राम चौधरी वगैराह ने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरुस्ती हेतु निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार जैतारण वास्ते रेकर्ड दुरुस्ती राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 एवं 131 के तहत प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया गया।</p> <p>प्रार्थी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी हल्का लौटोती की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। संबंधित खातेदारान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर भी गौर किया गया व पाया कि काश्तकार की उचित समस्या को दूर करने एवं रेकर्ड अपडेट करने तथा नक्शा तरमीम के लिए खसरा नम्बर 115 रकबा 12-01 बीघा भूमि को दो भागों में प्रस्ताव अनुसार खसरा नम्बर 115 रकबा 05-01 बीघा एवं खसरा नम्बर 115/2 रकबा 07-00 बीघा को विभाजित करते हुए इन्द्राज दुरुस्त किया जाना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा- लौटोती पटवार हल्का लौटोती तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.न. 115 की जमाबन्दी में खातेदारान् के नाम दर्ज हैं। पटवारी हल्का लौटोती, भू.अ.निरीक्षक निम्बोल एवं तहसीलदार जैतारण ने खातेदारान् का आवेदन एवं रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं, जिसे प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार खसरा नम्बर 115 रकबा 12-01 बीघा के स्थान पर खसरा नम्बर 115 रकबा 05-01 बीघा एवं खसरा नम्बर 115/2 रकबा 07-00 बीघा की इन्द्राज दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। खातेदारान् के नाम, हक हिस्सा की प्रविष्टियां बदस्तूर जारी रहेगी, तथा खातेदार व अन्य पक्षकार इस बाबत किसी भी समय संबंधित सक्षम न्यायालय से अगर उचित समझे तो अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगें, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पृथक से आदेश जारी हो जो पत्रावली का भाग होगा, आदेश एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जो इस निर्णय का भाग होगा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	<p>182 18/2/2020</p>

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या.....3.9...../2020  
तहसीलदार  
अनवान

बनाम  
आदेश

संयाम चौधरी वगैरह

(अंतर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956)  
प्रार्थी तहसीलदार जैतारण के खाता डुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल-लौटोती व भू.अ. निरीक्षक-निम्बोल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार जैतारण की अनुशंषा, खातेदारा की प्रार्थना के आधार पर तहसील क्षेत्र जैतारण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार भू-अभिलेखों की डिजिटल इजेशन हेतु संचालित DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) के अंतर्गत जमाबंदी, नक्शा एवं मौका स्थिति की अनुरूपता के लिए मौका एवं नक्शा की स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप तहसील कार्य में उत्पन्न अवरोध के निराकरण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 131 के अनुसरण में ग्राम-लौटोती, तहसील-जैतारण, जिला-पाली की जमाबंदी संवत् 2073-2076 में निम्नलिखित खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खातेदारा के नाम, हक हिस्सा एवं रहन की प्रविष्टियां, कुल रकबा एवं भूमि की किस्म अप्रभावित रहते हुए बदस्तूर जारी रहेगी। कोई भी खातेदार किसी भी समय अगर आवश्यक समझे तो संबंधित सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

वर्तमान खाते का विवरण		खातेदार का विवरण		शुद्धि की प्रविष्टि			
खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
428	115	12-01	बा.अ.	428	115	5-01	बा.अ.
					115/2	7-00	बा.अ.
योग	1	12-01	बा.अ.	योग	2	12-01	बा.अ.

नोट :- उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर 115 को 115 व 115/2 में विभाजित करने के आदेश दिये जाते हैं।



उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण